

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:-425/2018

1. श्यामलाल पुत्र आत्माराम जाति जाट निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी।  
-वादी

बनाम्

1. आत्माराम पुत्र नानूराम } जाति जाट निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी ।  
2. गुड्डीदेवी पत्नी आत्माराम }  
3. दुर्गा पत्नी नितिन कुमार पुत्री आत्माराम जाति जाट निवासी जयपुर तहसील व  
जिला जयपुर।  
-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र .गर्ग वकील वादीगण मिन जाभिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 13 एजी के खाता सं0 3/3 में कुल 1.265 है0 व चक नं0 4 एमजैडडब्ल्यू के खाता सं0 4/4 में कुल 1.733 है0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं0 13 एजी के खाता सं0 3/3 व चक नं0 4 एमजैडडब्ल्यू के खाता सं0 4/4 में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....मिल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें  
के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 9.1.19  
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 9.1.2019 को जारी  
किया गया।

( उम्मेद सिंह रतनू )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

